

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

प्रशांत कुमार
सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी।
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक: 11/02/21

विषय :- वित्तीय वर्ष 2020-21 में जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग) अन्तर्गत नई लघु सिंचाई योजनाओं के निर्माण हेतु रुपये 817.231 लाख (रुपये आठ करोड़ सत्रह लाख तेईस हजार एक सौ मात्र) राशि आवंटित करने के संबंध में।

प्रसंग :- प्रशासनिक स्वीकृति संख्या- 63/12.02.2019; 06/24.04.2017 एवं 16/06.07.2018

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत निम्नवत् दर्शाये गये लघु शीर्ष / उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र.	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष / उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष / उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष / विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु.)
1	2	3	4	5
1.	50-जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)/ 4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	101-सतही जल/ 19- नई लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण	05-निर्माण/ 45- निर्माण कार्य विपत्र कोड- 50S470200101190545	817.231
आवंटित राशि - रुपये आठ करोड़ सत्रह लाख तेईस हजार एक सौ मात्र।				

- उपर्युक्त आवंटित की जा रही राशि का व्यय परिशिष्ट-1 में अंकित कार्य प्रमंडलों के द्वारा नियमानुसार किया जाएगा।
- आवंटित राशि वर्ष 2020-21 के बजट उपबंध राशि रु. 2380.00 लाख (रुपये तेईस करोड़ अस्सी लाख) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003, 1363 दि. 09.05.2016 एवं 2747/वि., दिनांक-19.09.2016 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति में वर्णित शर्तों का अक्षरशः पालन करते हुए किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।



(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

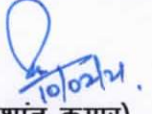


(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अभि.)

9. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
10. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
11. आवंटित राशि से अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
12. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
13. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
14. AIBP योजनाओं के लिए MOU में भारत सरकार द्वारा अंकित सभी अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ ही तत्संबंधी प्रतिवेदन विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।
15. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
16. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च 2021 के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी इकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का यथाशीघ्र प्रत्यर्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यर्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यर्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrender No (संबंधित LOC No सहित) का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।

नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट-1 के स्तंभ-15 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक-यथोक्त।

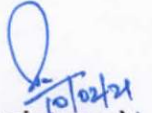

(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :- 225

राँची, दिनांक :- 11/02/21

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. - हिन्डू, राँची/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा/पलामू/भेदिनीनगर/हुसैनाबाद/हजारीबाग/रामगढ़/गोड्डा/देवघर/गिरिडीह सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।

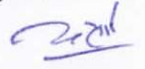

(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :- 225

राँची, दिनांक :- 11/02/21

प्रतिलिपि :- सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) राँची/अभियंता प्रमुख-I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।


(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)


(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अभि.)


(प्रशांत कुमार)
सचिव

विभागीय पत्रांक 225

दिनांक 11/2/21

का अनुसूचक

परिशिष्ट -1

मुख्य शीर्ष-4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत व्यय
लघु शीर्ष-101-सतही जल,
उप शीर्ष-19-नई लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण,
विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण
बजट उपबंध (2020-21) - रुपये 2380.00 लाख (रुपये तेईस करोड़ अस्सी लाख) मात्र
विपत्र कोड- 50S470200101190545

क्र.	कार्यालय का नाम	जिला	प्रक्षपट	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति			एकराशि राशि	मार्च 2020 तक व्यय	वर्ष 2020-21 में				Online Allotment Access No.	अभ्युक्ति		
					प्रसंग	राशि	Online प्रसंग			पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन	योजना पर कुल आवंटन (10+13)				
1	लघु सिंचाई प्रमंडल, हुसैनगढ़ (PLMMIR04)	पलामू	पाण्डु	बहुआरा नाला पर चेकडैम का निर्माण	63/2018-19 dt. 12.02.2019	49,298	2097 dt. 12.02.2019	40,740	0.000	35,049	6,601	41,650	41,650	75351			
योग :-						49,298		40,740	0,000	35,049	6,601	41,650	41,650				
2	लघु सिंचाई प्रमंडल, हजारीबाग (H2BMIR001)	बटही	कन्दावा तसी नाला पर चेकडैम निर्माण	63/2018-19 dt. 12.02.2019	35,388	2097 dt. 12.02.2019	30,579	0.000	27,001	3,580	30,581	30,581	75352				
योग :-						35,388		30,579	0,000	27,001	3,580	30,581	30,581				
3	लघु सिंचाई प्रमंडल, रामगढ़ (RGHMIR012)	गोला	बड़का नदी पर चेकडैम/दीवार निर्माण	06/2017-18 dt. 24.04.2017	95,361	451 dt. 02.05.2017	95,860	77,202	0.000	15,000	15,000	15,000	92,202	75362			
योग :-						95,361		95,860	77,202	0,000	15,000	15,000	92,202				
4	लघु सिंचाई प्रमंडल, गोड्डा (GDDMIR014)	गोड्डा	ठाकुरगंटी	विहारी नदी में श्रृंखलाबद्ध चेकडैम निर्माण	63/2018-19 dt. 12.02.2019	182,773	2097 dt. 12.02.2019	161,030	144,886	0.000	16,140	16,140	161,026	75353			
5			महागामा	मेघा नाला में श्रृंखलाबद्ध चेकडैम निर्माण		182,773		112,160	73,000	2,960	36,200	39,160	112,160				
6			बोझारीजोर	डबरा नदी में श्रृं चेकडैम निर्माण		207,793		184,740	128,418	0.000	56,320	56,320	184,738				
7			बसंतख	कुमारकोल नदी में श्रृंखलाबद्ध चेकडैम निर्माण		165,500		144,720	65,000	3,670	76,670	79,720	144,720				
8			सुरसवाडी	जमरुगानी नाला पर चेकडैम निर्माण		78,500		69,830	30,000	0.550	39,000	39,550	69,550				
9			सुरसवाडी	पहाड़पुर नाला पर चेकडैम निर्माण		84,540		75,390	30,000	0.640	44,740	45,380	75,380				
10			महागामा	कमलाचक बांध नाला में श्रृं चेकडैम निर्माण		165,450		141,917	90,266	0.000	51,650	51,650	141,916				
11			पोरेशाहाट	उपरला जोर नाला पर चेकडैम निर्माण		81,990		81,150	32,000	1,720	47,430	49,150	81,150				
12			पोरेशाहाट	हथी हरियारी जोरिया पर श्रृं चेकडैम निर्माण		215,120		205,320	85,350	8,650	112,300	120,950	206,300				
योग :-								1,364,439		1,176,257	678,920	18,190	479,830			498,020	1,176,940

(राजेश प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अभि.)(प्रशांत कुमार)
सचिव

क्र.	कार्यालय का नाम	जिला	प्रखण्ड	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति			(राशि लाख रुपये में)						Online Allotment Access No.	अव्युक्ति
					प्रसंग	राशि	Online प्रसंग	एकराशि राशि	मार्च 2020 तक व्यय	पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन	योजना पर कुल आवंटन (10+13)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13	लघु सिंचाई रूपांकण प्रमंडल, दुमका थिचिर, देवघर (DGRMAR001)	देवघर	पालोजोरी	भुली जोरिया पर श्रृंखलाबद्ध चेकडैम निर्माण	63/2018-19 dt. 12.02.2019	88.386	2097 dt. 12.02.2019	78.312	60.000	15.880	2.392	18.272	78.272	75360	
14			मार्गमुण्डा	फागो जोरिया में श्रृं चेकडैम निर्माण		169.204		144.302	90.000	0.000	30.000	30.000	120.000		
15			देवघर	समादाहा जोरिया में चेकडैम निर्माण		39.690		36.380	18.350	0.000	19.038	19.038	37.388		
योग :-						297.280		258.994	168.350	15.880	51.430	67.310	235.660		
16			जमुशा	सुखली जोर नाला पर श्रृं चेकडैम निर्माण कार्य		152.775		134.575	80.000	0.000	54.575	54.575	134.575		
17			गिरिडीह	मलियाहीर नाला पर चेकडैम निर्माण		47.862		41.128	25.000	0.000	16.128	16.128	41.128		
18			गिरिडीह	नेगारही नदी पर श्रृं चेकडैम निर्माण		132.969		114.639	69.298	0.000	45.342	45.342	114.640		
19			गाण्डेय	पहरना नाला पर चेकडैम निर्माण		107.211		95.144	50.000	0.000	45.144	45.144	95.144		
20	लघु सिंचाई प्रमण्डल, गिरिडीह (GRDMAR001)	गिरिडीह	देवरी	दुलौरी नाला पर श्रृंखलाबद्ध चेकडैम निर्माण	63/2018-19 dt. 12.02.2019	109.924	2097 dt. 12.02.2019	94.785	75.000	10.443	9.342	19.785	94.785	75361	
21			देवरी	घोसे नाला पर चेकडैम निर्माण		47.089		41.218	20.766	0.000	20.452	20.452	41.218		
22			तिसरी	हैटली नाला पर चेकडैम का निर्माण		42.428		36.674	21.287	0.000	14.674	14.674	35.961		
23			देगाबाद	जोरिया नाला पर चेकडैम निर्माण		52.226		46.068	20.000	0.000	26.068	26.068	46.068		
24			देगाबाद	बुधनवाडीह नाला पर चेकडैम निर्माण कार्य		48.798		41.835	15.370	0.000	26.465	26.465	41.835		
25			बगौदर	हरिनमरवा जोरिया पर चेकडैम का निर्माण	16/2018-19 dt. 06.07.2018	58.669	827 dt. 09.07.2018	61.153	55.250	0.000	2.600	2.600	57.850	75363	
योग :-						799.951		707.219	431.971	10.443	260.790	271.233	703.204		
सकल योग :-						2,641.717		2,309.649	1,356.443	106.563	817.231	923.794	2,280.227		
आवंटित राशि - रुपये आठ करोड़ सत्रह लाख तेईस हजार एक सौ मात्र।															

(राजेंद्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अभि.)

(प्रशांत कुमार)
सचिव